



दिनांक- 16.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश **थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 15.07.2026 को थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा चैकिंग/गश्त के दौरान **01 वारंटी अभियुक्त नसीम अहमद पुत्र निसार अहमद निवासी ग्राम कासमपुर माजरा पाडली थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद⁰ स⁰-2017/26 व मु⁰अ⁰स⁰ 357/25 धारा 318(4)336(3)/338/340(2) बीएनएस में ग्राम कासमपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा⁰ न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नसीम अहमद पुत्र निसार अहमद निवासी ग्राम कासमपुर माजरा पाडली थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ⁰नि⁰ श्री मुकेश सोलकी थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. रि⁰का⁰ 1500 ऋषिपालसिंह थाना मिर्जापुर सहारनपुर



दिनांक- 16.07.2026

थाना बेहट मिशन शक्ति एंटीरोमियो टीम की मानवीय पहल — लावारिस अवस्था में मिली मूक-बधिर बालिका को सकुशल परिजनों से मिलाया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में संचालित मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार दीखित के कुशल नेतृत्व में थाना बेहट की मिशन शक्ति/एंटी रोमियो टीम ने संवेदनशीलता एवं तत्परता का परिचय देते हुए लावारिस अवस्था में मिली लगभग 05 वर्षीय मूक-बधिर बालिका को सकुशल उसके परिजनों के सुपुर्द किया।

दिनांक 15.07.2026 को उपनिरीक्षक महेश चन्द, महिला उपनिरीक्षक कंचन, महिला आरक्षी गीतू शर्मा (915), महिला आरक्षी अंजलि (492) एवं महिला आरक्षी प्रियम (491) अपनी टीम के साथ थाना क्षेत्र में पैदल गश्त एवं चेकिंग ड्यूटी पर थे। गश्त के दौरान कस्बा बेहट में एक लगभग 05 वर्षीय मूक-बधिर बालिका लावारिस अवस्था में घूमती हुई मिली।

थाना बेहट मिशन शक्ति एंटीरोमियो पुलिस टीम द्वारा तत्काल बालिका को अपनी सुरक्षा में लेकर थाना बेहट लाया गया तथा मिशन शक्ति केन्द्र में सुरक्षित एवं सहज वातावरण उपलब्ध कराया गया। चूँकि बालिका मूक-बधिर थी, इसलिए टीम ने अत्यंत धैर्य एवं संवेदनशीलता के साथ उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। साथ ही स्थानीय लोगों एवं अन्य माध्यमों से संपर्क कर बालिका के परिजनों की तलाश की गई।

पुलिस के प्रयासों से बालिका की माता शमसा खातून पत्नी स्वर्गीय मोहम्मद इशाक, निवासी फूल कॉलोनी, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर तथा उसके मामा मोहम्मद नासिर को थाना बेहट बुलाया गया। आवश्यक सत्यापन के उपरांत बालिका को सकुशल उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया तथा भविष्य में बालिका की सुरक्षा एवं देखभाल के संबंध में आवश्यक हिदायत भी दी गई।

इस मानवीय एवं त्वरित कार्यवाही के लिए स्थानीय नागरिकों एवं परिजनों ने थाना बेहट मिशन शक्ति/एंटी रोमियो टीम की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए सहारनपुर पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया।

मिशन शक्ति एंटी रोमियो पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री महेश चन्द थाना बेहट सहारनपुर
2. म0उ0नि0 कंचन थाना बेहट सहारनपुर
3. म0 का0 915 गीतू शर्मा थाना बेहट सहारनपुर
4. म0का0 492 अंजलि थाना बेहट सहारनपुर
5. म0का0 491 प्रियम थाना बेहट सहारनपुर



दिनांक 16.07.2026

-प्रैस नोट-
“ऑपरेशन सवेरा”

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया, अभियुक्तगण के कब्जे से 110 ग्राम अवैध चरस व 27 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशा तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.07.2026 को थाना मण्डी पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1. मुस्तफा पुत्र सलीम निवासी अन्सारियो वाली पट्टी ग्राम चुनहैटी थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर व 2. तस्लीम पुत्र स्व गफूर निवासी बडी मस्जिद वाली गली ग्राम चुनहैटी थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर को मण्डी समिति परिसर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 110 ग्राम नाजायज चरस व कुल 27 ग्राम नाजायज स्मैक (12 ग्राम स्मैक व 15 ग्राम कट) बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 356/2026 धारा 8/20/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. मुस्तफा पुत्र सलीम निवासी अन्सारियो वाली पट्टी ग्राम चुनहैटी थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
2. तस्लीम पुत्र स्व गफूर निवासी बडी मस्जिद वाली गली ग्राम चुनहैटी थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- कुल 110 ग्राम अवैध चरस (अभियुक्त मुस्तफा से)
- कुल 27 ग्राम नाजायज स्मैक (12 ग्राम स्मैक व 15 ग्राम कट) (अभियुक्त तस्लीम से)

अभियुक्त मुस्तफा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0- 741/2018 धारा 323/34/376-D/506 भादवि व धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

2. मु0अ0सं0- 865/2018 धारा 2/3 उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

3. मु0अ0सं0- 356/2026 धारा 8/20/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।

अभियुक्त तसलीम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0- 741/2018 धारा 323/34/376-D/506 भादवि व धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

2. मु0अ0सं0- 865/2018 धारा 2/3 उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

3. मु0अ0सं0- 356/2026 धारा 8/20/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

2. उ०नि० श्री जगपाल सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

3. है०का० 1233 विपिन कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

4. है०का० 09 महबूब अली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

5. का० 1570 रवि कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।



दिनांक 16.07.2026

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 70 ग्राम अवैध स्मैक (कीमत करीब 1,40,000/- रुपये) बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन सवेरा” के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रेक्ष कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16/07/2026 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **अकरम पुत्र साजिद निवासी मौहल्ला गुज्जरवाडा कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को कस्बा गंगोह से बुड़डाखेडा जाने वाले रास्ते से समय करीब 11.40 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त **अकरम** उपरोक्त से 70 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 344/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त **अकरम** उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अकरम पुत्र साजिद निवासी मौहल्ला गुज्जरवाडा कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 70 ग्राम अवैध स्मैक

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 512/16 धारा 138(B) भारतीय विद्युत अधिनियम थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 396/17 धारा 4/25 आयुध अधिनियम, 1959 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 350/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 365/19 धारा 20,8 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 37/21 धारा 21,8 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 369/21 धारा 21,29,8 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

7. मु0अ0स0 543/24 धारा 21,8 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0स0 299/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 89/18 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना तीतरो जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0का0 639 मुकेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0का0 12 अंकुश गोदारा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. है0का0 294 उदित मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



दिनांक: 16.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर नकबजन अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अंगुठी पीली धातू, 02 लौंग पीली धातू, 1100/- रुपये नकद, 01 पाँच रुपये का नेपाली नोट, 01 नथ पीली धातू, 01 जोड़ी पायल सफेद धातु व 600/- रुपये नकद (अलग) बरामद

घटना का विवरण:- दिनांक 12.07.2026 को वादी श्री नितिन कुमार पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम लखनौती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण 1-काका उर्फ मंगलसैन, 2- अंकित पुत्र सोमवीर व अन्य अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा घर की अलमारी में रखे सोने-चाँदी के जेवरात व 40 हजार रुपये व एक कैमरा NIKON का चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0स0 514/2026 धारा 305(ए) बीएनएस के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **02 शातिर चोर अभियुक्तगण 1.मंगल सिंह पुत्र श्याम कुमार नि0 ग्राम लखनौती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर व 2. सागर पुत्र राकेश नि0 ग्राम लखनौती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को ग्राम बडेडी मजबता की नहर की पटरी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी गया सामान **01 अंगुठी पीली धातू जेन्टस, दो लौंग पीली धातू, 1100/-रुपये नगद, 01 पांच रुपये का नेपाली नोट, 01 नथ पीली धातू, 01 जोड़ी पायल सफेद धातु व 600/- रुपये नगद अलग बरामद** हुए। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. मंगल सिंह पुत्र श्याम कुमार नि0 ग्राम लखनौती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2. सागर पुत्र राकेश नि0 ग्राम लखनौती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अंगुठी पीली धातू जेन्टस
- 02 लौंग पीली धातू,
- 1100/-रुपये नगद
- 01 नोट नेपाली पाँच रुपये का,
- 01 नथ पीली धातू
- 01 जोड़ी पायल सफेद धातु
- 600/- रुपये नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 श्री रवि कुमार वर्मा थाना देवबन्द सहारनपुर
2. है0का0 274 रवि तोमर थाना देवबन्द सहारनपुर
3. है0का0 341 विपिन कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर



दिनांक – 16.07.2026

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 03 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 50 ग्राम अवैध स्मैक, 01 देशी तमन्चा, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 02 अवैध छुरी व तीन मोबाइल फोन बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों नशे के/ अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में – **“ऑपरेशन सवेरा”** **“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”** अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिले देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान **03 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1. बादल पुत्र ब्रजपाल निवासी गाँव सलौनी पीर माजरा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर, 2. गौरव पुत्र कर्म सिंह निवासी गाँव सलौनी पीर माजरा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर व 3. कार्तिक पुत्र रजनीश निवासी मौहल्ला चापरान कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को मकबरा चौकी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 50 ग्राम अवैध स्मैक, 01 देशी तमन्चा, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 02 अवैध छुरी व 03 मोबाइल फोन बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना देवबन्द पर **मु0अ0सं0- 0523/2026 धारा 109(1) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट व 8/21 NDPS ACT** में पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. बादल पुत्र ब्रजपाल नि0 गाँव सलौनी पीर माजरा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2. गौरव पुत्र कर्म सिंह नि0 गाँव सलौनी पीर माजरा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
3. कार्तिक पुत्र रजनीश नि0 मौ0 चापरान कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 50 ग्राम अवैध स्मैक
- 01 देसी तमन्चा 315 बोर

- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 खोखा कारतूस 315 बोर
- 02 नाजायज छूरी
- 03 माबाइल फोन

अभियुक्त बादल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 676/2023 धारा 392/411 भादवि थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 - 677/2023 धारा 392/411 थाना देवबन्द सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 - 678/2025 धारा 25, 27, 3, 4 आयुध अधि0 व 307 भादवि थाना देवबन्द सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री डैनी, थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री लोकेन्द्र सिंह, थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. का0 2078 सतेन्द्र, थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
4. रि0का0 671 नितिन कुमार, थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक – 16.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारंटी/शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त शेन्की पुत्र स्व० पवन कुमार नि० बनीखेडा थाना कुतुबशेर सहारनपुर के पास थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर को अम्बाला रोड से मानकमऊ वाले रास्ते पर बने खण्डहरो के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त शेन्की उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु०अ०स० 329/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शेन्की पुत्र स्व० पवन कुमार नि० बनीखेडा थाना कुतुबशेर सहारनपुर के पास थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 नाजायज चाकू

आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०स० 77/24 धारा 379/411 भा०द०स० थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
2. मु०अ०स० 120/24 धारा 379/411 भा०द०स० थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
3. मु०अ०स० 104/24 धारा 379/411 भा०द०स० थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
4. मु०अ०स० 168/24 धारा 379/411 भा०द०स० थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
5. मु०अ०स० 169/24 धारा 414/420/465/467/468/471 भा०द०स० थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
6. मु०अ०स० 323/24 धारा 2/3 उ०प्र गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
7. मु०अ०स० 419/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
8. मु०अ०स० 426/25 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट व 3(5)/317(5) बीएनएस थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. उ०नि० श्री कुलवन्त सिंह मलिक कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. है०का० 1217 राजेन्द्र कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. रि०का० 1372 गोविन्द कुतुबशेर जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक – 16.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारंटी/शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त अब्दुल अजीम पुत्र इरशाद निवासी एकता कालोनी उस्मानिया मस्जिद के पास थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर को अम्बाला रोड से मानकमऊ वाले रास्ते पर बने खण्डहरो के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त शेन्की उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 328/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

➤ अब्दुल अजीम पुत्र इरशाद नि0 एकता कालोनी उस्मानिया मस्जिद के पास थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 नाजायज चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. उ0नि0 श्री अजयपाल सिंह कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. है0का0 854 अमित कुमार कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. रि0का0 1380 सतबीर कुतुबशेर जनपद सहारनपुर



दिनांक- 16.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत

02 अभियुक्तगण गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.07.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 02 नफर अभियुक्तगण 1. धीरज कुमार पुत्र स्व० जयप्रकाश नि० मौहल्ला नवाबगंज चौक थाना को० नगर जनपद सहारनपुर व 2. अलीशान पुत्र मो० मुस्तकीम नि० मौ० मटिया महल थाना को० नगर सहारनपुर को कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत आते जाते लोगो के साथ आमदा फसाद करते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 170/135/126 बीएनएनएस के तहत प्रभावी कार्यवाही की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. धीरज कुमार पुत्र स्व० जयप्रकाश नि० मौहल्ला नवाबगंज चौक थाना को० नगर जनपद सहारनपुर
2. अलीशान पुत्र मो० मुस्तकीम नि० मौ० मटिया महल थाना को० नगर सहारनपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ० नि० अरुण कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
2. का० 1468 धर्मेन्द्र राणा थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
3. रि० का० 1336 विदित राज थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 16-07-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा खनन सामग्री ओवरलोड परिवहन करने वाले 03 डम्पर सीज

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध खनन की रोकथाम हेतु लगातार चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं उपजिलाधिकारी बेहट व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.07.2026 को थाना फतेहपुर पुलिस व खनन टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 03 डम्पर जिसमें खनन सामग्री भरी हुई थी। जिसका तौल कांटा कराया गया तो डम्पर में ओवरलोड खनन सामग्री भरी हुई है जिसको थाने पर खड़ा कराया गया। अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट सम्बन्धित विभाग को भेजी गयी।

ओवरलोड खनन परिवहन में दाखिल किये गये वाहनों का विवरण:-

- एक डम्पर - UP15CT8021
- एक डम्पर - HR58E6751
- एक डम्पर - HR58C6964

चैकिंग करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
2. खनन अधिकारी श्री अखिलेश चौबे जनपद सहारनपुर।
3. उ०नि० श्री सजल यादव थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
4. रि०का० 794 सन्नी देवल थाना फतेहपुर सहारनपुर।
5. रि०का० 806 मनीष कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 16-07-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा चोरी के मुकदमें में अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 01 हजार रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई:-

अवगत कराना है, कि दिनांक 20.03.2017 को वादी श्री मुनेश कुमार निवासी नागल थाना नागल जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्तगण 1.जाबिर पुत्र मुन्ना निवासी नूर बकान थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर 2.शहजाद 3.शादाब 4.धीरज उर्फ आडवाडी द्वारा अपने साथियों के साथ लोहे की सरिया चोरी करने की सूचना पर मु0अ0स0-98/2017 धारा-382 भादवि थाना नागल जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-2162/2024 पर माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 16.07.2026 को अभियुक्त जाबिर पुत्र मुन्ना निवासी नूर बकान थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर थाना नागल पर पंजीकृत मु0अ0स0-98/2017 धारा 382 भादवि में जुर्म इकबाल पर 03 वर्ष का कारावास व 01 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोट:- अभियुक्त 1. शहजाद 2.शादाब 3.धीरज उर्फ आडवाडी के विरुद्ध वाद की कार्यवाही पूर्णतः जारी रहेगी।

अभियोजन अधिकारी- श्री मनोज यादव।

विवेचक - उ0नि0 श्री जोगेन्द्र सिंह थाना।

पैरोकार - का0 2461 अनुग्रह थाना नागल जनपद सहारनपुर।